न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 264/14

रामस्वरूप आयु 45 वर्ष आत्मज श्री सूरजमल जाति मीणा निवासी ग्राम बालोद तहसील के0.पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल लाल
2. रामजीवन
3. दुर्गा लाल पिसरान पन्ना लाल जाति मीणा निवासीगण टाकरवाडा की झोपडियॉ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. जानकी लाल आत्मज हरदेव जाति मीणा ।
5. कोलूराम आत्मज कान्हा जाति मीणा निवासीगण टाकरवाडा की झौंपडियॉ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. कनिष्ठ अभियन्ता जरिये कार्यालय ओ.एफ.डी. उपखण्ड तृतीय के0 पाटन जिला बून्दी।
7. सहायक अभियन्ता खेत सुधार उपखण्ड – 04 के0 पाटन ।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 25.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम टाकरवाडा की आराजी कुल किता 04 की रकबा 5.74 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार करने का निवेदन किया और अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.12.2013 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2013 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपनी ओर से अभिभाषक को नियुक्त कर दिया था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और कहा था कि आवश्यकता होने पर सूचित कर दिया जावेगा परन्तु उनके अभिभाषक ने उन्हें कोई सूचना नही दी इसलिए उक्त अपील समय पर प्रस्तुत नही की जा सकी। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 ने प्रतिवादीगण क्रम 6 व 7 से अपसी मिली भगत कर प्रार्थी के खोत में जबरन ताकत के बल पर धोरा निकलवाने पर आमादा हो रहे हैं । प्रार्थी को सरकार द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि अथवा उसके किसी भी भू–भाग पर ताकत के बल पर किसी प्रकार का धोरा का निर्माण कार्य नहीं करे । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्यों को सुने ही मात्र यह लिखकर कि वाद धोरा सम्बन्धित है जिसका निर्धारण मूल वाद में होना है अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया । पत्रावली में आदेश 26 नियम 09 बाबत् एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2013 को पेश किया गया था उसकी नकल उसी दिन वकील अप्रार्थीगण को दिलवायी गई तथा उसी प्रार्थना पत्र पर सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया ऐसा आदेश कानूनी प्रावधानों के अनुसार निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धोरा के सम्बन्ध में वादपत्र प्रस्तुत किया था और उसी के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में मूल विवाद धोरा से सम्बन्धित है जिसका निर्धारण मूल वाद के निर्धारण के समय होगा । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2013 बहाल रखा जावे ।

[illegible] अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस [illegible] सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय [illegible] का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण [illegible] हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत [illegible] में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसके साथ ही प्रार्थी अपीलान्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मुख्य रूप से विवाद धोरा से सम्बन्धित है जिसका निर्धारण मूल वाद के निर्णय के समय होना है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में हम उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2013 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा